100 day's work plan regarding Direction.

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./3737 दिनांक : 22/02/19
3937

1. जिला कलेक्टर (समस्त),
   राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषय : 100 दिवसीय कार्ययोजना की क्रियान्विति बाबत।
प्रसंग : विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 879–1078 दिनांक 30.01.2019 की निरन्तरता में।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र (नीति–पत्र) के कतिपय बिन्दुओं पर विभाग द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की जाकर इसका नगर निकायों के स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में लेख है कि प्रत्येक नगर निकाय द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यो व उन पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

1. <u>पार्को के संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य :</u>

विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र के अनुसार समस्त नगरीय निकायो के क्षेत्राधिकार में स्थित पार्को के संरक्षण और संवर्द्धन हेतु योजना तैयार कर आम नागरिकों के लिये पूर्ण सुविधायें यथा : पार्को में सघन वृक्षारोपण/पौधारोपण, घास, बैठने के लिये बेंचों की व्यवस्था व फुटपाथ का निर्माण (कच्चा पाथ–वे), रात्रि में प्रकाश के लिये एल.ई.डी. लाईटें एवं बच्चों के खेलने के लिये झूले इत्यादि लगाने के कार्य करवाये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त पार्को में अन्य सिविल निर्माण कार्य नहीं करवाये जावें। इसके अन्तर्गत जयपुर नगर निगम में 08, शेष प्रत्येक नगर निगम में 05, प्रत्येक नगर परिषद में 03 एवं द्वितीय श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिका में 02 पार्क एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की प्रत्येक नगर पालिकाओं में 01 पार्क में संरक्षण/संवर्द्धन के कार्य करवाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त कार्यो हेतु समस्त नगर निकायों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

Scanned by CamScanner

(राशि रूपये लाखो मे)

क्रम सं.	कार्य का नाम	नगर निकाय	प्रत्येक नगर निकाय को प्रावधित राशि	कुल प्रावधित राशि (रूपये लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित पार्को के संरक्षण, संवर्द्धन व विकास कार्य	नगर निगम (07)	100.00	700.00
		नगर परिषदें (34)	50.00	1700.00
		नगर पालिकायें (152)	25.00	3800.00
	योग	193	—	6200.00

2. <u>श्मशानों/कब्रिस्तानों में विकास कार्य :</u>

विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से RUIRP-II के अन्तर्गत नगरीय निकायों मे श्मशानों/कब्रिस्तानों में करवाये जा रहे विकास कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में शेष रहे श्मशान/कब्रिस्तानों को चिन्हित करते हुये कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देश दिये गये थे। श्मशानों/कब्रिस्तानों में यथा : दाहसंस्कार के लिये टीन शेड़ का निर्माण, बैठने हेतु बेंचेज व टीन शेड़, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय व स्नानागार, वृक्षारोपण, रात्रि में प्रकाश के लिये एल.ई.डी. लाईटें, पाथ–वे आदि कार्य ही करवाये जा सकेंगे। श्मशान/कब्रिस्तान के .'.फेंसिंग/बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य शहरी जन सहभागी योजना के अंतर्गत करवाये जा सकते हैं।

उक्त कार्यो हेतु समस्त नगर निकायों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :–

(राशि रूपये लाखों में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	नगर निकाय	प्रत्येक नगर निकाय को प्रावधित राशि	कुल प्रावधित राशि (रूपये लाखों में)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित श्मशानों/कब्रिस्तानों में विकास कार्य	नगर निगम (07)	100.00	700.00
		नगर परिषदें (34)	50.00	1700.00
		नगर पालिकायें (152)	20.00	3040.00
	योग	193	—	5440.00

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा उक्तानुसार दोनों कार्यो पर कुल राशि रूपये 116.40 करोड़ का व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें 90 प्रतिशत राशि रूपये

Scanned by CamScanner

104.76 करोड़ हुड़कों से RUIRP Phase I&II के अंतर्गत स्वीकृत करवाये गये ऋण से उपलब्ध करवाई जावेगी तथा शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राशि सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

इसी क्रम में यह भी लेख है कि यदि इन कार्यो की लागत राशि उपरोक्त तालिकाओं में वर्णित राशि से अधिक होती है, तो वह राशि नगर निकायों द्वारा स्वयं के कोष से वहन की जावेगी। जिला कलेक्टर्स से निवेदन है कि उक्त विकास कार्यो के लिये **सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि** (MP/MLA LAD) से भी राशि स्वीकृत करवाई जा सकती है।

नगर निकायों को उक्तानुसार स्वीकृत ऋण राशि में से 40 प्रतिशत राशि का आवंटन कार्यादेश जारी होने के तुरन्त पश्चात्, 40 प्रतिशत राशि का आवंटन पूर्व में आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का आवंटन कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जावेगा।

यह भी निर्देशित किया जाता हैं कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत उक्तानुसार करवाये जाने वाले कार्यो की अविलम्ब निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुये उक्त कार्यो के कार्यादेश 2 मार्च, 2019 तक आवश्यक रूप से जारी करना सुनिश्चित किया जावे।

सम्बन्धित जिला कलेक्टर जिले की समस्त नगर निकायों द्वारा कराये जाने वाले उक्त विकास कार्यो की समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निरीक्षण हेतु भी निर्देशित करेंगे।

सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत कार्यो का समयबद्ध रूप से निरीक्षण करेंगे। इन कार्यो का नगर निकाय में पदस्थापित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नियमित रूप से Supervision किया जावेगा। इन कार्यो का समय–समय पर महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण एवं सुपरविजन किया जावेगा। उक्त कार्य त्वरित रूप से हो तथा कार्य की गुणवत्ता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जावे। निर्माण कार्यो के निर्धारित मापदण्ड़ानुसार Quality Control Test हेतु सैम्पल लिये जाकर उनकी गुणवत्ता की जांच करवाई जावेगी। कार्यो की मात्रा एवं गुणवत्ता (Quantity&Quality) की सुनिश्चितता के लिये सम्बन्धित अभियन्ताओं के साथ–साथ महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

सम्भाग मुख्यालय के नगर निगमों में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने क्षेत्राधिकार/सम्भाग की नगर निकायों में इन कार्यो का

Scanned by CamScanner

सुपरविजन एवं मोनेटरिंग किया जावेगा। समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) भी अपने क्षेत्राधिकार की नगर निकायों के उक्त कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।

अतः राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से कार्य की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे एवं की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से विभागीय ई-मेल : dlbrajasthan@gmail.com व cedlbjp@gmail.com पर पाक्षिक रूप से विभाग को प्रेषित करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

सिद्धार्थ 21/2/19

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2019/100 दिवस का.यो./3938-4228 दिनांक : 22/02/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (प्रभारी जिला सचिव), राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
12. कार्यकारी निदेशक, राज. शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम लि.(RUDSICO), जयपुर।
13. क्षेत्रीय प्रमुख, आवास एवं शहरी विकास निगम लि., हुड़को भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
15. परियोजना निदेशक (इन्फ्रा.)/मुख्य अभियन्ता, रूड़सिकों, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
18. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम।
19. संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
20. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
21. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner